



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 104]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 14, 2017/माघ 25, 1938

No. 104]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 14, 2017/MAGHA 25, 1938

विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 फरवरी, 2017

सा.का.नि. 127(अ).—केन्द्रीय सरकार, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 56 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (सचिव की नियुक्ति) नियम, 2004 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्

(1) संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (सचिव की नियुक्ति) संशोधन नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (सचिव की नियुक्ति) नियम, 2017 की अनुसूची के सतंभ 12 में, "केन्द्रीय या राज्य सरकारों के ऐसे अधिकारी" शब्दों के स्थान पर "केन्द्रीय या राज्य सरकारों या केन्द्रीय या राज्य सरकारों के अधीन कानूनी या स्वायत्त निकायों के ऐसे अधिकारी" शब्द रखे जाएंगे।

[फा. सं. 13/7/2001-ईएम]

राज पाल, आर्थिक सलाहकार

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में सं. सा.का.नि. 362(अ), दिनांक 15 जून, 2004 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF POWER**NOTIFICATION**

New Delhi, the 14th February, 2017

G.S.R. 127(E).—In exercise of the powers conferred by section 56 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Bureau of Energy Efficiency (Appointment of Secretary) Rules, 2004, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Bureau of Energy Efficiency (Appointment of Secretary) Amendment Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Bureau of Energy Efficiency (Appointment of Secretary) Rules, 2004 in the Schedule in column (12) for the words “The officers of Central or State Governments”, the words “The officers of Central or State Governments or statutory or autonomous bodies under the Central or State Governments” shall be substituted.

[F. No. 13/7/2001-EM]

RAJ PAL, Economic Advisor

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number GSR 362(E), dated the 15th June, 2004.